सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलीय अधिकारी
पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
पश्चिम क्षेत्र संचरण प्रणाली -1 नागपूर.

संदर्भ: प क्षे /पी. एम. एस. /340/2435 दिनांक: 14.08.2018

अपील दिनांक: 27.07.2018

अपीलकर्ता का नाम : श्री. विनोद जनार्धन देहारकर,
पोस्ट सिर्सी ता. भिवापूर
जि. नागपूर, पिन कोड: 441294

जन अधिकारी का नाम : पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
पश्चिम क्षेत्र संचरण प्रणाली -1
नागपुर.

द्वारा : श्री. पंकज दलाल,
जन सुचना अधिकारी
पावर ग्रिड पश्चिम क्षेत्र -1 नागपुर.

आवेदन दिनांक 12.06.2018 के उत्तर मे जन सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 29.06.2018 द्वारा प्रदत्त सूचना से असंतुष्ट होने के कारण अपील कर्ता ने निम्न अपील की है –

१) मेरा खेत मौ खातखेडा सर्वे नं. 27 \ 1 में 1.01 हेक्टेयर कृषि भूमि है। इसमें मेरा आम के पेडो का बाग था, जो आपकी टावर कंपनी ने स्थायी रूप से नष्ट कर दिया, इस कारण मैंने काम बंद करवा दिया था, शाम को 5.00 बजे, श्री शैलेंद्र कुर्मी साहब आए उन्होने कपास की फसल का पंचनामा किया और आम के बगीचे का पंचनामा करने के लिये मेरे साहब कल आयेंगे ऐसा आश्वासन दिया, और टावर का काम करवा लिया। लेकिन इसके बाद कोई भी नहीं आया। गर्मी का मौसम था जो दो महीने तक चला , इस दौरान कोई भी पंचनामा करने नहीं आया। तब तक, आम के पेड़ की एक पीढ़ी पुरानी मेरी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। जिसका मुआवजा टावर कंपनी द्वारा दिया जाना चाहिए ।

२) फिर अचानक दिं 13-06-2014 को बगैर किसी सूचना के दस-पंद्रह लोग हथीयार लेकर मेरे खेत में आये और मुझे पूछे बिना मेरे बेर और बबूल के पेड तोड दिये और उस नुकसान का पंचनामा करने से मना कर दिया इस कारण मैंने पुलिस थाने सिर्सी में एक रिपोर्ट दे दी थी, तब दि. 18-06-2014 को नुकसान का पंचनामा करने एक साहब आये और उन्होने मेरे बेर और बबूल के पेड के नुकसान का पंचनामा किया , मैंने उनसे आम के बगीचे के नुकसान का पंचनामा करने के लिये आग्रह किया तो उन्होने मुझे तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज कराने को कहा , उनके कहने के अनुसार मैंने तहसीलदार और सभी अधिकारीयो के पास शिकायत दर्ज की, किंतु कोई जानकारी मुझे नहीं मिली . इस घटना को 4 साल पूरे हो गये ।

३) मुझे केवल दिं 08-08-2014 को कपास की फसल का 25,000 रुपये का चेक से मुआवजा मिला है उसके बाद मेरे बबूल के पेड का 1,300 रुपये का चेक से मुआवजा मिला है और बेर के पेडो का दि. 20.02.2018 को 9,157 रुपये का मुआवजा RTGS के द्वारा मिला है। किंतु मेरे आम के बगीचे के नुकसान का कोई मुआवजा नहीं मिला है , आपसे मेरा अनुरोध है की , आप मामले की उचित जांच करके मुझे मुआवजा राशी प्रदान करें।

४) मुझे आम के बाग लगाने में 100,000 रुपये का कुल खर्च आया था और इससे मुझे सालाना 25,000 रुपये की आमदनी होती और मेरी अगली पीढ़ी तक मुझे यह आमदनी मिली होती , पर आपकी कंपनी ने मेरा सब नुकसान कर दिया , मुझे इसका उचित मुआवजा दिजिये ।

५) आपने 1885 साल के कानून का पालन करके अंग्रेजो के जैसे शक्ती का प्रयोग किया है ऐसा आपके पत्र से समझ में आता है , आपके पास कानून है, शक्ती है, करंट है इस वजह से किसान का मरण है।

६) किसान के पास कोई कानून नहीं है, इस लिये उसके खेत में बिना उसकी इजाजत के आप अपना अधिकार जमा सकते है क्योंकी आपके पास शक्ती है इस कारण किसान ने आत्महत्या करनी चाहिये ।

आप अपीलीय अधिकारी है , आप कृपा करके सत्य का पता लगवाकर किसान को न्याय दिजिये यह मेरा आपसे अनुरोध है (नोट: - लिखने में कोई गलती हुई होगी तो माफ़ी दिजिये या फिर सजा)

सारे पिछले दस्तावेज़ साथ में संलग्न हैं।

अपील, दिनांक 27.07.2018, इस कार्यालय को 31.07.2018 को प्राप्त होने पर जन सूचना अधिकारी को बुलाया गया तथा अपील में की गयी शिकायत से अवगत कराया गया। जन सूचना अधिकारी को सुना गया तथा उन्होने प्रदत्त सूचना से संबंधित मदनुसार निम्नलिखित तथ्य व दस्तावेज प्रस्तुत किये –

आपके द्वारा प्राप्त आवेदन का उत्तर , हमारे पत्र संदर्भ संख्या: प.क्षे.पा.प्र.-1/पी.एम.एस./340/2219 दिनांक 29.06.2018 द्वारा आपको दिया गया है, तथा इस पत्र द्वारा चाही गयी निम्नलिखित जानकारी प्रदान की गई थी:

क्र.सं	मांगी गई जानकारी	उत्तर / जानकारी
1.	विषय :- कलमी आंब्याच्या बागेचे दिर्घ पिकांचे नुकसान मिळण्याबाबत महोदय, सविनय विनंतीपूर्वकसांगतो की, माझी शेती मौजा खातखेडा सर्वे नं २७/१ मध्ये १.०१ हे.आर. शेत जमीन आहे. त्यामध्ये मि कलमी आंब्याची दिर्घ पिकासाठी फलवर्गीय बाग लावली होती. ती तुम्ही टावर कंपनीने दिर्घ पिक कायमचे नष्ट केले . परंतु त्याचा कोणताही मोबदला दिला नाही . आणि तुम्ही दिलेल्या मोठ्या पत्रानं आंब्याच्या दिर्घ पिकाच्या मोबदल देण्याचा काहिच उल्लेख केलेल नाही. करिता आपलास आग्रहाची विनंती करतो के मला आंब्याच्या बागेचे दिर्घ पिकाचे नुकसान द्यावी हि विनंती .	पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का उद्यम है, को केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता)Central Transmission Utility) का दर्जा प्राप्त है और विभिन्न अति उच्च वोल्टता वाले लाईनों का निर्माण कर एक सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की ओर अग्रसर है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पावरग्रिड को एतद्वारा विद्युत पारेषण के लिये तथा कार्यो के समुचित समन्वयन के लिये आवश्यक दूरभाषीय या तार संबंधि संप्रेषण के उद्देश्य से बिछाई जाने वाली विद्युत लाइनों के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग 3 के अंतर्गत "तार प्राधिकारी" हेतु निहित समस्त शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया गया है । पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)की 765 के रायपुर .व्ही. – वर्धा संचरण लाईन-1 के टावर लोकेशन नं -118/4 से 118/5 के तार खिचाई कार्य के दौरान आंम की फसल का नुकसान पावरग्रिड द्वारा नहीं किया गया। तार खिचाई कार्य के दौरान जो भी वृक्ष की क्षति हुई है। उसकी भरपाई पावरग्रिड द्वारा कि गई है। उसका विवरण निम्मलिखित है। 1. फलदार वृक्ष के क्षति कि भरपाई पावरग्रिड द्वारा मुआवजा प्रमाण पत्र क्र. 58-02893,दिनांक-18.06.2014 से राशि रुपये.9,157/- का भुकतान,उनके बैंक खाता क्रमांक–11702268370, भारतीय स्टेट बैंक,गिरड में आर.टी.जी.एस प्रणाली द्वारा भुकतान किया गया है । 2. आडजात वृक्ष के क्षति कि भरपाई पावरग्रिड द्वारा मुआवजा प्रमाण पत्र.क्र.58-02892,दिनांक-18.06.2014 से चेक नं-884790 राशि रुपये.1,365/- दिनांक-31.12.2014 को भुकतान पावरग्रिड द्वारा किया गया है।

अपील की प्राप्ति के बाद अपील को वर्धा सबस्टेशन में भेज दिया गया और आवेदक द्वारा वांछित जानकारी निम्नलिखित के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है:

<u>मांगी गई जानकारी:</u> टावर निर्माण कार्य के दौरान श्री. विनोद जनार्धन देहारकर के आम के पेड की फसल का पावरग्रिड द्वारा जो नुकसान हुआ उसके मुआवजे की जानकारी।
<u>उत्तर / जानकारी:</u> पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)की 765 के.वी रायपुर .– वर्धा संचरण लाईन-1 के टावर निर्माण कार्य के दौरान आम के झाड की फसल का नुकसान पावरग्रिड द्वारा नहीं किया गया। टावर लोकेशन नं -118/4 से 118/5 में तार खिचाई कार्य के दौरान जो भी वृक्ष की क्षति हुई है। उसकी भरपाई पावरग्रिड द्वारा कि गई है। उसका विवरण निम्मलिखित है। 1. फलदार वृक्ष के क्षति कि भरपाई पावरग्रिड द्वारा मुआवजा प्रमाण पत्र क्र.58-02893,दिनांक-18.06.2014 से राशि रुपये-9,157/- का भुकतान,उनके बैंक खाता क्रमांक11702268370, भारतीय स्टेट बैंक,गिरड में आर.टी.जी.एस प्रणाली द्वारा भुकतान किया गया है। 2. आडजात वृक्ष के क्षति कि भरपाई पावरग्रिड द्वारा मुआवजा प्रमाण पत्र.क्र.58-02892,दिनांक-18.06.2014 से चेक नं-884790 राशि रुपये-1,365/- दिनांक-31.12.2014 को भुकतान पावरग्रिड द्वारा किया गया है।

निर्णय :

मैंने आवेदक की अपील एवं मांगी गयी सूचना से संबन्धित सभी दस्तावेजो को देख लिया है तथा जन सूचना अधिकारी को सुनने के बाद, मेरा निष्कर्ष यह है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना सही है, तदनुसार अपील खारिज की जाती है।

(डॉ. वी. के. खरे)
कार्यपालक निदेशक, प. क्षे. -1
अपीलीय अधिकारी

उपरोक्त जानकारी से संबंधित यदि आपको कोई द्वितीय अपील करना हो तो उसे प्रथम अपीलीय अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति से 90 दिनों के भीतर द्वितीय अपीलीय अधिकारी को किया जा सकता है।

द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पता
सेंट्रल इन्फोर्मेशन कमिशन
आर. संख्या 326, सी विंग, दूसरा माला
अगस्त क्रांति भवन
भिकाजी कामा स्थल
नई दिल्ली-110 066

प्रति:

1. श्री. विनोद जनार्धन देहारकर,
   पोस्ट सिर्सी ता. भिवापूर
   जि. नागपूर, पिन कोड: 441294
2. उपमहाप्रबंधक, वर्धा
3. जन सूचना अधिकारी
   पावर ग्रिड पश्चिम क्षेत्र-1, नागपुर.
4. प्रबंधक, सतर्कता